Motion for Election of two Members to the Rehabilitation Council of India

<u>12.06 hrs</u>

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री **(**डॉ**.** वीरेन्द्र कुमार**):** सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:-

?कि इस सभा के सदस्य भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992 की धारा 4 के साथ पठित धारा 3 की उप-धारा (3) के खंड (ज) के अनुसरण में, ऐसी रीति से, जैसा अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, उनकी नियुक्ति की तारीख से दो वर्षों की अवधि के लिए अथवा जब तक उनके उत्तरवर्ती विधिवत् रूप से नियुक्त नहीं कर लिए जाते हैं; जो भी अधिक हो, भारतीय पुनर्वास परिषद के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें ।?

माननीय सभापति **:** प्रश्न यह है :

?कि इस सभा के सदस्य भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992 की धारा 4 के साथ पठित धारा 3 की उप-धारा (3) के खंड (ज) के अनुसरण में, ऐसी रीति से, जैसा अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, उनकी नियुक्ति की तारीख से दो वर्षों की अवधि के लिए अथवा जब तक उनके उत्तरवर्ती विधिवत् रूप से नियुक्त नहीं कर लिए जाते हैं; जो भी अधिक हो, भारतीय पुनर्वास परिषद के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

? (व्यवधान)